संख्या– 428 /आठ–2–2012–3एच0बी0 (25)/ 12

प्रेषक,

आलोक कुमार
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3– अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 27 फरवरी, 2012

विषय– उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं को प्रदेश के नगरों की महायोजनाओं में समायोजन के सम्बन्ध में प्रकिया निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की आवासीय योजनाओं के नगरों की महायोजनाओं में समायोजन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–59 में व्यवस्था है कि "उत्तर प्रदेश अवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 का प्रवर्तन, सिवाय उन गृह निर्माण या सुधार योजनाओं के संबंध में, जिन्हें उत्तर प्रदेश अवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा–32 के अधीन उसमें शामिल क्षेत्र को विकास क्षेत्र के रूप में घोषित करने के पूर्व अधिसूचित किया गया है, या जिन्हें उक्त घोषणा के पूर्व उक्त अधिनियम की धारा–28 के अधीन अधिसूचित किया गया है, जो बाद में उस अधिनियम के अधीन जारी रहने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये हैं या जो विशेष आवास विकास परिषद की योजना के रूप में इस धारा में निर्दिष्ट एतस्मिनपश्चात् राज्य सरकार के अनुमोदन के साथ ऐसी घोषणा के बाद प्रारम्भ किये जाते है, विकास क्षेत्र के संबंध में निलम्बित रहेगें'।

2– उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत घोषित किये जाने वाले नगरों के विकास क्षेत्र अथवा पुराने घोषित विकास क्षेत्र के सीमा विस्तार के समय उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की आवासीय योजनाओं की अद्यतन सूचना संबंधित विकास प्राधिकरण के पास उपलब्ध न होने के कारण इन योजनाओं के महायोजना में समायोजन में कठिनाई या त्रुटि हो जाती है। उक्त अधिनियम की धारा–59 में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि परिषद की जिन आवासीय

योजनाओं में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा–32 की अधिसूचना निर्गत हो गई है उन्हें महायोजना बनाते समय यथावत् आवासीय भू–उपयोग में समायोजित किया जायेगा किन्तु यदि धारा–28 की अधिसूचना ही निर्गत हुई है तो उक्त अधिसूचित क्षेत्र विकास क्षेत्र के संबंध में निलम्बित रहेगें जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इसे जारी रखने के लिए अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अनुमोदित न कर दिया जाये। अतः इस बिन्दु पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत विकास क्षेत्र की घोषणा की तिथि के पूर्व जिन आवासीय योजनाओं को धारा–28 के अन्तर्गत अधिसूचित किया जा चुका है उस क्षेत्र पर भू–अर्जन की कार्यवाही, जारी रखने के लिए उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा–59 के अन्तर्गत राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

3– अतः उक्त व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की आवासीय योजनाओं को नगरों की महायोजनाओं में समायोजित करने के सम्बन्ध में निम्नवत कार्यवाही की जाय:–

(1) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ऐसी आवासीय योजनाओं, जिनमें परिषद अधिनियम की धारा–32 की अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है, उक्त क्षेत्र को नगर की महायोजना तैयार करते समय आवासीय भू–उपयोग में समायोजित किया जाये।

(2) जिन योजनाओं में परिषद अधिनियम की धारा–28 की अधिसूचना निर्गत हो चुकी है किन्तु धारा–32 की अधिसूचना निर्गत नही हुई है ऐसे क्षेत्र को उक्त नगर की महायोजना में समायोजित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–59 के अन्तर्गत राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। अतः विकास क्षेत्र घोषित होने की तिथि से तीन माह के अन्दर आवास आयुक्त द्वारा प्रस्ताव एवं भूमि का पूर्ण विवरण शासन को प्रेषित किया जायेगा और शासन द्वारा विचारोपरान्त धारा–59 के अन्तर्गत यदि आदेश निर्गत किये जाते हैं कि उक्त योजना के लिए भू–अर्जन की कार्यवाही जारी रखी जायेगी, तो उतना क्षेत्रफल महायोजना में आवासीय भू–उपयोग रखा जायेगा।

(3) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा—17 में यह प्राविधान है कि परिषद द्वारा संचालित आवासीय योजनायें नगर की महायोजना में निर्धारित भू—उपयोग के अनुरूप ही निर्मित की जायेगी। अतः नगर की लागू महायोजना में निर्धारित आवासीय भू—उपयोग के अनुसार ही उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा नयी आवासीय योजनायें प्रस्तावित की जायें।

4— कृपया उक्त दिशा—निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव।

संख्या— 428 (1)/आठ—2—2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ।
2— निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
3— निजी सचिव, सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
4— आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—1/3
5— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एच0पी0सिंह)
उप सचिव।